The Research Dialogue
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-04, Issue-01, April-2025
www.theresearchdialogue.com

"बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्याएं, सुधार हेतु सुझाव और बिहार सरकार के शैक्षणिक उत्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं का विश्लेषण"

सोनू रजक,
असिस्टेंट प्रोफेसर
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद (मानु) कॉलेज आफ टीचर एजुकेशन दरभंगा (बिहार)
ईमेल आईडी:- sonu.06541@gmail.com

प्रोफेसर मो० फ़ैज़ अहमद,
प्राचार्य
मानु कॉलेज आफ टीचर एजुकेशन दरभंगा (बिहार)

मो० नदीम,
रिसर्च स्कॉलर पी०एच०डी० शिक्षाशास्त्र,
शिक्षा विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, (एल०एन०एम०यू०) दरभंगा (बिहार)
ईमेल आईडी:- Nadim87169@gmail.com

उत्तम कुमार,
एम०एड० रिसर्च स्कॉलर
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद (मानु) कॉलेज आफ टीचर एजुकेशन दरभंगा (बिहार)
ईमेल आईडी: uttamkumar8676@gmail.com

डॉ० बेग मुंतजीब अली और डा० शेख़ वसीम शेख़ शब्बीर,
एसोसिएट प्रोफेसर
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद-500032 (तेलंगाना)

(Abstract) सारांशिका :-

राजनीतिक और संस्कृतिक शान्ति का केन्द्र कहलाने वाले बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आत्महीनता का सामना करना पड़ता है, बिहार की शैक्षिक व्यवस्था को समझने के लिए इतिहास के पृष्ठो को खंगालने की जरूरत पड़ेगी । उसमें बिहार की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक , साहित्यिक और संस्कृतिक विरासत को बड़ी सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। जग-जाहिर है कि बिहार एक समय में शिक्षा का केन्द्र माना जाता था। यहां दो प्रमुख विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा और भागलपुर विक्रमशीला का जन्मस्थान है। जो विश्व प्रख्यात था जहाँ देश-विदेश के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। जहां प्राचीन राजवंश मगध साम्राज्य का श्रीगणेश हुआ। बौद्ध दर्शन (पालि) और जैन दर्शन (प्राकृत) का प्रादुर्भाव हुआ। विश्व के की देशों के प्रमुख शिक्षार्थी "भारत शिक्षा दर्शन" हेतु आएं। जैसे हुएनसांग,फाहियान, इब्नबतूता और ईत्सिंग इत्यादि।

- **01. फाह्यान (Faxian/Fa-Hien):-** वह एक चीनी बौद्ध यात्री था जो 05 वीं शताब्दी में भारत आया था। वह बौद्ध धर्मग्रंथों की खोज में नालंदा, वैशाली और पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) आया। उसने अपनी यात्रा का वर्णन **'A Record of Buddhist Kingdoms'** नामक पुस्तक में किया है। फाह्यान ने उस समय के जनमानस के आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, व्यवसायिक पहलुओं का वर्णन किया है।
- **02. ह्वेनसांग (Xuanzang/Hiuen Tsang):-** यह भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो 07 वीं शताब्दी में भारत आया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया। उसने बिहार की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का विस्तृत वर्णन 'सी-यू-की' (Si-Yu-Ki) नामक ग्रंथ में किया।
- **03. इत्सिंग (I-Tsing/Yijing):-** यह एक अन्य चीनी यात्री था जो 07 वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। उसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बौद्ध धर्मग्रंथों का अनुवाद किया।

जिन्होंने भारत की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामरिक आदि का वर्णन और गुणगान किया है।

(Keywords) शब्द कुंजी:- शैक्षिक पिछड़ेपन, शैक्षिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, साक्षरता दर, समग्र शिक्षा।

(Introduction) परिचय:-

"शिक्षा:- सत्यम, शिवम् , सुंदरम का चिंतन, आत्म अंतर्निहित ज्योति की अभिप्रेरणा, स्वानुशासन, सच्चरित्रता, संस्कारों का आभूषण, न्याय, समता, समानता व स्वतंत्रता का पालक, स्वास्थ्य का सलाहकार, ज्ञान का कोषागार, सामाजिक सौहार्द व सद्भावना का आगार, रोजी-रोटी का साधन, नैतिक मानवीय मूल्यों की कुंजी, भावी पीढ़ी की पूंजी, समाज के नव-निर्माण का मार्गदर्शक, विश्वशांति, विश्वबंधुत्व और मानव को संपूर्ण मानव बनाना ही शिक्षा है।"

- **"न चोरहार्यं न च राज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी | व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्या धनं सर्वधनप्रधानम् ||" संस्कृत श्लोक**

"विद्या ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकते हैं, न ही राजा छीन सकता है। यह न भाइयों में बाँटा जा सकता है और न ही यह कोई बोझ है। इसके व्यय (उपयोग) करने पर यह घटती नहीं, बल्कि निरंतर बढ़ती है। इसलिए विद्या का धन सभी प्रकार के धन में सर्वोत्तम है।"

- **"येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुविभारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति॥" अध्याय 10/7 चाणक्य नीति**

"जिन लोगों के पास न तो विद्या है।, न तप, न दान, न शील, न गुण और न धर्म। वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृग/जानवर की तरह से घूमते रहते हैं। वह मनुष्य योनि में पैदा होकर भी दानव के समान है।"

- **"सा विद्या या विमुक्तये।"**

"वही विद्या (शिक्षा) है जो मुक्ति (बन्धनों से छुटकारा) दिलाए।"

महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की जो परिभाषा दी, वह केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास को केंद्र में रखती थी। उनके शब्दों में शिक्षा :-

- **"शिक्षा का अर्थ है। – शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास।"**

महात्मा गांधी जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करे और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करे। उन्होंने यह भी कहा की :

"बिना चरित्र निर्माण के दी गई शिक्षा, केवल बुद्धि का विकास है, और वह समाज के लिए घातक हो सकता है।"

- **"शिक्षा ऐसी हो जो प्रगतिशील और तर्कशील हो।"**

आज के समय बिहार भारतीय राज्यो में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। यहाँ शैक्षिक व्यवस्था में कई मुद्दे है। जैसे मेक इन इंडिया,आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, समावेशी भारत, मुद्दों को सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अनदेखी कर रही है। हर मायनों में उन सभी योजनाओं की बुनियाद है। जिनका समाधान न होने से राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस पिछड़ेपन का असर न केवल शिक्षा पर बल्कि पुरे सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी पड़ा है।

बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन के निम्नांकित कारण :-

(01) **साधनों की कमी**: बिहार में बुनियादी ढांचे की कमी है। स्कूल की इमारते अक्सर खस्ता हालत में होती है।

(02) **असुविधाजनक अवस्थाएं** :- कई ग्रामीण और दुरदराज के क्षेत्रों में स्कूल दूर और सड़कों की खस्ता हालत होती है। जिससे बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, शौचालय, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की कमी होती है।

(03) **सामाजिक और आर्थिक कारक** :- सामाजिक और आर्थिक पिछडेपन के कारण गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा के अवसर से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण बच्चे स्कूल छोडकर काम पर जाते है।

(04) **प्रशासनिक और भ्रष्टाचार** :- शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। निधियो की अनियमितता और कुशल प्रबंधन की कमी प्रमुख कारण है।

बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन के निम्नांकित परिणाम :-

(01) साक्षरता दर में कमी।

(02) महिलाओं की शिक्षा में कमी।

(03) आर्थिक विकास की कमी।

(04) स्वास्थ और सामाजिक समस्याएं।

(01) साक्षरता दर में कमी:- शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बिहार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।

(02) महिलाओं की शिक्षा में कमी:- महिलाओं की शिक्षा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कई स्थानों पर बाल विवाह और शिक्षा की कमी के कारण बालिकाओं का स्कूल आना काम होता है।

(03) आर्थिक विकास की कमी:- शिक्षा के अभाव के कारण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। जिसके कारण आर्थिक विकास में रुकावटें आती है।

(04) स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं:- शिक्षा की कमी से स्वास्थ्य जागरूकता की कमी होती है। जिससे सामाजिक समस्याएं जैसे कि कुपोषण और रोग का फैलाव बढ़ते जाते हैं।

2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर :-

वर्ष	कुल	पुरुष का प्रतिशत	महिला का प्रतिशत
1961	21.95%	35.85%	08.11%
1971	23.17%	35.86%	09.86%
1981	32.32%	47.11%	16.61%
1991	37.49%	51.37%	21.99%
2001	47.53%	60.32%	33.57%
2011	63.82%	73.39%	53.33%

अब बिहार की कुल साक्षरता दर 69.33% है। कुल पुरुष और महिला की साक्षरता दर क्रमश: 70.32% और 53.57% है। कुल ग्रामीण साक्षरता दर 43.3% है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पुरुष और महिला साक्षरता दर 57.17% और 29.6% है। कुल, शहरी साक्षरता दर 71.9% है। बिहार के शहरी इलाको में पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमश: 79.9% और 62.6 % है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पटना (63.82%) और रोहतास (62.63%) है। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला किशनगंज (31.2%.) है।

बिहार की साक्षरता दर सबसे निचले स्तर पर होने के सर्वप्रमुख कारण है।

1) छात्र- शिक्षक अनुपात में भारी कमी।

2) योजनाओ की सही मॉनिटरिंग नही।

3)माध्याह्न भोजन योजना में व्यापक भ्रष्टाचार।

4) गुणवत्ता से अधिक मात्रा अर्थात संख्या पर अधिक ध्यान देना, बिना भवन के स्कूल।

5)शिक्षक नियुक्ति में अत्यधिक विलंब।

6) शिक्षक नियुक्ति (नियमित/नियोजित/ संविदा/अतिथि शिक्षकों में भेदभाव।

7)अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति।

8) बिहार राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) का उन्नयन और विस्तार का न होना है।

9) शिक्षको में शैक्षिक संस्कारो और शैक्षिक कर्तव्यनिष्ठता का अभाव।

10) समाज में शिक्षा के प्रति जागरुकता का अभाव।

11) मदरसो/मकतबो/कोचिंग संस्थानो/आंगनबाड़ी/तालिमी मरकज पर अत्यधिक निर्भरता।

12) राज्य सरकार की उदासीनता और राज्य सरकार द्वारा प्रभावी शिक्षा नीति का अभाव।

13) समकालीन बिहार राज्य पाठ्यचर्या की रुपरेखा का निर्माण न होना।

बिहार की साक्षरता दर को सुदृढ़ करने हेतु निम्नांकित सुझाव है।

(01) संरचनात्मक सुधार।

(02) शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण।

(03) आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन।

(04) प्रशासनिक सुधार।

(01) संरचनात्मक सुधार :- शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। स्कूलो की इमारतो, शौचालयों और साफ पानी। अन्य सुविधाओं की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्कूलो में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और खेल ग्राउंड की भी समुचित व्यवस्था होना चाहिए।

02) शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण:- शिक्षकों की कमी को को पूरा करने के लिए नई नियुक्तियों की आवश्यकता है और मौजूदा शिक्षको के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

03) आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन:- गरीब परिवारों के बच्चे को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

(04) प्रशासनिक सुधार:- शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता को दूर करने के लिए ठोस और नए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। जिसमें पेपर लीक पर ठोस कानून लाना चाहिए। और उसे बेहतर ढंग से लागू करने हेतु संरक्षित योजनाबद्ध क्रियान्वित की जाए। धोखेबाजी और नकल वालों पर ठोस कदम उठाना चाहिए और शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ठोस और पारदर्शी नियमावली बनाई जानी चाहिए।

बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने हेतु सरकार की योजनाएं:-

(01) मुख्यमंत्री पोशाक वितरण योजना

- **कक्षा (01 से 02)- 600 रुपए वार्षिक।**
- **कक्षा (03 से 05)- 700 रुपए वार्षिक।**
- **कक्षा (06 से 08)- 1000 रुपए वार्षिक।**
- **कक्षा (09 से 12)- 1500 रुपए वार्षिक।**

(02) मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति वितरण योजना

- **कक्षा (01 से 04)- 600 रुपए वार्षिक।**
- **कक्षा (05 से 06)- 1000 रुपए वार्षिक।**
- **कक्षा (07 से 10)- 1800 रुपए वार्षिक।**
- **कक्षा (11 से 12)- 2000 रुपए वार्षिक।**

(03) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS)–BC/EBC, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों, SC/ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के छात्रों के लिए।

यह योजना पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए है। जो 11वीं और 12वीं के कक्षाओं में अध्यनरत हैं।

छात्रवृत्ति की राशि 2000 प्रति वर्ष है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पात्रता मापदंड :-

- **बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।**
- **वार्षिक पारिवारिक आय पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1.5 डेढ़ लाख रुपया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 2.5 ढाई लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए।**
- **किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यनरत होना चाहिए।**

(04) मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना- BC/EBC छात्रों के लिए।

यह योजना उन पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए है। जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हो।

छात्रवृत्ति राशि: 10000/ एकमुश्त

मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना की पात्रता मापदंड

- **बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।**
- **वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए**
- **मैट्रिक की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हो।**

(05) मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना – बालिका (माध्यमिक +2) प्रोत्साहन योजना।

यह योजना 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए है। जो उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।

छात्रवृत्ति राशि: 10000/ एकमुश्त

पात्रता:

- **बिहार राज्य की निवासी होनी चाहिए।**
- **12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।**

(06) मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना–सभी वर्गों के विधार्थियों के लिए।

इस योजना की शुरुआत 2006 में बिहार सरकार के द्वारा की गई।

यह योजना नवी कक्षा में नामांकित सभी विद्यार्थियों के लिए है जिससे उन्हें विद्यालय आने-जाने में सुविधा हो।

छात्रवृत्ति राशि: 3000/ एकमुश्त।

मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना की पात्रता मापदंड

- **विद्यार्थी बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।**
- **विद्यार्थी को किसी सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकित होना चाहिए।**
- **यह योजना कक्षा 09 के लिए उपलब्ध है।**
- **विद्यार्थी की उपस्थिति रिकॉर्ड मान्य होना चाहिए।**

(07) मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम कक्षा (09-12) 300 रुपए

(08) मुख्यमंत्री विधार्थी प्रोत्साहन योजना (मैट्रिक प्रथम श्रेणी हेतु) सभी वर्गों के लिए 10000/

(09) मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 50000/

(10) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना:- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCCY) योजना का आरंभ 02 अक्टूबर 2016 को हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के वित्तीय रूप से कमजोर विधार्थियों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा (पेशागत/तकनीकी) हेतु बिहार सरकार द्वारा सहायतार्थ शिक्षा के लिए सरकारी तथा निजी बैंकों के द्वारा 04 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाता है। जिनमें बिना कोई गारंटर और कम ब्याज दर अर्थात महिलाओं को वार्षिक 01% और पुरुषों को वार्षिक 04% निर्धारित है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के निम्नांकित उद्देश्य:-

(01) वह छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उसे 12वीं के बाद अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ताकि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके।

(02) छात्रों को तकनीकी और पेशेवर शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करता है। जिससे छात्रों को रोजगार का अवसर मिले और आत्मनिर्भर बन सके।

(03) छात्र पैसा के अभाव के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़े।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता मापदंड

- **बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।**
- **न्युनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 25 वर्ष हो।**
- **छात्र 12वीं पास हो।**
- **छात्र को भारत के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य है।**

(11) मध्यान भोजन योजना:- मध्यान भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को "राष्ट्रीय पोषाहार योजना" के नाम से भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में लागू किया गया। जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराना है। जिससे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास उसकी आयु के हिसाब से हो सके।

मध्यान भोजन योजना के निम्नांकित उद्देश्य:-

- **बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ससमय हो सके।**
- **बच्चों का विद्यालय में अधिक से अधिक भागीदारी हो सके।**
- **गरीब बच्चों को मुफ्त पौष्टिक आहार मिल सकें।**
- **विद्यालय में बच्चे ऊर्जा और आनंद के साथ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कर सके।**

मध्यान भोजन योजना के निम्नांकित चुनौतियां:- इस योजना में जमीनी स्तर पर अधिक भ्रष्टाचार और लापरवाही देखने को मिलते हैं। जहां प्रधानाध्यापक और सरकारी तंत्र कुछ रूपए के लालच के लिए बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ कटौती करते हैं। जैसे :-

- **मीनू के अनुसार पौष्टिक आहार का ना मिलना।**
- **निश्चित कैलोरी में कटौती करना।**
- **फल उपलब्ध नहीं कराना।**
- **खाने में सलाद नहीं देना।**
- **साफ-सफाई की उचित व्यवस्था का न होना।**
- **सरकार द्वारा रसोईया को समय पर वेतन न देना और कम वेतन।**
- **सरकार द्वारा रसोईया को प्रशिक्षण का प्रबंधन न करना इत्यादि।**
- **जिससे कि समय-समय पर विद्यालयों में बच्चों के बीमार होने, मध्यान्ह भोजन का बहिष्कार इत्यादि की सुचनाएं आती है।**

(12) **बिहार उन्नयन योजना**:- बिहार सरकार 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हेतु बिहार उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। जिसमें विद्यालय में डिजिटल माध्यम से बिहार के अनुभवी शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को डिजिटल माध्यम से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है।

बिहार उन्नयन योजना के निम्नांकित उद्देश्य :-

- **ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचना।**
- **विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा में डिजिटल लर्निंग के माध्यम से तैयारी कराना।**
- **डिजिटल माध्यम से शिक्षण को सहज और सरल बनाना।**

बिहार उन्नयन योजना को धरातल पर लागू करने में चुनौतियां:-

- **विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा का ना होना।**
- **शिक्षकों को सूचना तकनीक इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) की जानकारी का अभाव।**

- **सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम का अभाव।**
- **बिजली आपूर्ति की कमी का होना।**
- **आधारभूत संरचना की कमी।**
- **उचित सुरक्षा और रख-रखाव का अभाव।**
- **रात्रि सुरक्षा प्रहरी का अभाव।**

((13) दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष कक्षाएं :- विशेष कक्षा से अभिप्राय है, कि शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक और विशेष उपागम की मदद से छात्रों को उसके अनुरूप शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि वह सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके, और उस अनुकूलता में स्वयं को ढाल सके।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं का उद्देश्य :-

- **असामान्य बच्चों को भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह शिक्षा प्रदान करना।**
- **दिव्यांग बच्चों को सामान्य छात्रों की बराबरी में लाना।**
- **विशेष बच्चे,दिव्यांग बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शिक्षण सामग्री द्वारा शिक्षण प्रदान करना।**
- **बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान करना।**
- **भारतीय संविधान की धारा 14 का पालन करते हुए समानता की भावना बच्चों में लाना।**

(14) **बीपीएससी द्वारा महिला शिक्षकों की भारी नियुक्ति**:- बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा बिहार राज्य में बड़ी संख्या में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की है। बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को TR-1 और TR-2 में 33% आरक्षण दिया गया है और TR-3 में 50% का आरक्षण दिया गया है। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं TRE-1, TRE-2 तथा TRE-3 मे महिला शिक्षकों की नियुक्ति के आंकड़े विशेष रूप से बीएससी TRE-3 में महिला शिक्षिकाओं की कुल नियुक्ति 34762 थी जबकि TRE-3 के अंतर्गत कुल शिक्षकों की नियुक्ति का सृजित पद 87774 थी। जिसमें विभिन्न स्तरों पर महिला शिक्षकों के पद आरक्षित थी इस प्रकार TRE-3 में शिक्षकों की कुल नियुक्ति में महिलाओं की कुल नियुक्ति का 40% अंशदान है।

BPSC TRE-3 में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति के आंकड़े निम्नांकित है।

विधालय का स्तर	कक्षा	आरक्षित पद
प्राथमिक विद्यालय	01-05	12667

मध्य विद्यालय	**06-08**	**8638**
माध्यमिक विद्यालय	**09-10**	**6030**
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	**11-12**	**7427**
	कुल संख्या	**34762**

(15) **बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY)** का आरंभ 02 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि बेरोजगार की तलाश के दौरान आत्म निर्भर बन सकें। भत्ता की राशि **₹1000 प्रतिमाह** अधिकतम 02 वर्षों तक कुल 24000 रुपए लाभार्थी को 12वीं पास और 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को प्रदान करता है।

बिहार सरकार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) की पात्रता मापदंड।:-

- **बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।**
- **उम्र 20 से 25 वर्ष के मध्य होना चाहिए।**
- **लाभार्थी 12वीं पास होना चाहिए।**
- **कोई सरकारी या निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए।**
- **किसी अन्य सरकारी योजना जैसे छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण योजना इत्यादि का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।**
- **कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। अंतिम पांच महीना का भत्ता तभी मिलेगा जब यह प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।**

बिहार की शैक्षिक साक्षरता को सुदृढ़ करने हेतु क्रियान्वयन

(01) **सामूहिक और निजी भागीदारी।**

(02) स्थानीय समुदायों की भागीदारी।

(03) नियमित निगरानी और मूल्यांकन।

(04) आर्थिक प्रबंधन और पारदर्शिता।

(01) सामूहिक और निजी भागीदारी:- शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु सामूहिक और निजी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें सरकारी और निजी संस्थाओं के मध्य सहयोग और समन्वय बढ़ाना चाहिए। निजी क्षेत्र की सहायता से विद्यालय में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

(02) स्थानीय समुदाय की भागीदारी :- स्थानीय समुदाय को शिक्षा के महत्व के संदर्भ में जागरूक करने और उन्हें शिक्षा सुविधाओं, नामांकन अभियानों में शामिल करने की आवश्यकता है।

(03) नियमित निगरानी और मूल्यांकन :- शैक्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ताकि किसी भी स्तर पर त्रुटि को ससमय सुधार किया जा सकें।

(04) आर्थिक प्रबंधन और पारदर्शिता :- निधियों का सही और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेश का अधिकतम लाभ बिहार राज्य की जनता को प्राप्त हो सकें।

बिहार पाठ्यचर्या रुपरेखा-2025 के मूल बिंदु शिक्षा क्रांति का प्रस्तावक :-

"विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम् ।

पात्रत्वात् धन्मान्पोति, धनात् धर्म ततः सुखम्।।"

"विद्या (शिक्षा) विनय (विनम्रता) देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है।"

उपर्युक्त भारतीय ज्ञान दर्शन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2025 (BCF 2025) स्कूली शिक्षा हेतु तैयार किया गया है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में स्कूली पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कर बिहार की उभरती पीढ़ी को विनयशील, नैतिक मूल्यों एवं स्वभाव के अनुरूप, अनुशासित, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत, रोजगार/स्वरोजगार पाने में सक्षम तथा भूमंडलीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाना है। वर्तमान दुनियाँ जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन, प्रदूषण, जैव-विविधता ह्रास और नये प्रकार की आपदाओं से संघर्ष कर रहा है। इन समस्याओं का प्रभाव न सिर्फ भूमंडलीय स्तर पर वरण ग्रामीण/लघु स्तर पर भी देखने को मिलता है। आज की पीढ़ी को शिक्षा के बुनियादी स्तर/प्रारंभिक स्तर से ही इन समस्याओं के प्रति सजग करने की जरुरत है। बच्चों को सतत् विकास के प्रति तैयार करना तथा आपदाओं के साथ जीने की कला में माहिर बनाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना में व्यापक परिवर्तन किया गया है। वर्तमान शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 5+3+3+4 के वर्गों में आयु और समझ, क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत 03 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों विद्यार्थियों को रखा गया है। उच्च माध्यमिक/इन्टरमीडिएट शिक्षा (11वीं एवं 12वीं वर्ग) को माध्यमिक शिक्षा (वर्ग 09 से वर्ग 12वीं तक) के अन्तर्गत रखा गया है। इस पाठ्यचर्या में आयु और दक्षता/कौशल विकास एवं ज्ञान-अर्जन के क्रमबद्धता को सशक्त रखने का प्रयास किया है।

यह पाठ्यचर्या शिक्षा क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ विमर्श और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा आयोजित कार्यशाला से प्राप्त विचारों को पुनःकोर कमिटी में लम्बे विमर्श और परिणामों के आधार पर तैयार किया गया है।

बच्चे/विद्यार्थी को केन्द्र में रखकर इस पाठ्यचर्या को तैयार किया गया है। लेकिन बच्चों का बहुमुखी विकास एंकाकी परिदृश्य में नहीं हो सकता है। अतः बच्चों के साथ शिक्षक, अभिभावक और समाज को भी केन्द्रीय भूमिका में रखा गया है। नई पीढी को तैयार करना इनकी भी अनिवार्य जिम्मेवारी है।

बिहार पाठ्यचर्या रुपरेखा-2025 को 09 भागों में रखा गया है। कुल मिलाकर 8+10-18 इकाइयों में यह पाठ्यचर्या रुपरेखा तैयार की गयी है। भाग-01 दृष्टिकोण (Approaches) है। इसके अन्तर्गत बिहार पाठ्यचर्या रुपरेखा के उद्देश्य, विविध चरणों में सीखने के मानक, पाठ्यचर्या सामग्री, पाठ्यपुस्तकों के लिखने के मार्गदर्शी सिद्धान्त, शिक्षण में नवीन तकनीकी के उपयोग, कक्षा-कक्ष प्रबंधन, छात्र

व्यवहार प्रबंधन, समय-सारणी प्रबंधन इत्यादि का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया है। भाग-02 में क्रास कटिंग थीम को रखा गया है। इस इकाई के माध्यम से बच्चे पर्यावरण और भारतीय ज्ञान परम्परा के विषय में आधारभूत समझ विकसित कर सकेंगे। भाग-03 में विद्यालयी विषयों को दस भागों में बाँटा गया है। इसके अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्तरविषयक क्षेत्र, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं 11वीं तथा 12 वी स्तर के शिक्षण हेतु रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। विद्यालयी विषयों के अन्तर्गत अध्ययन प्रतिफल, कौशल विकास, व्यावसायिक दक्षता, विकास और समसामयिक परिवर्तन से बच्चों / विद्यार्थियों को रूबरू करने का प्रयास किया गया है। परीक्षा पास करने के बाद वे अपने भविष्य की शैक्षणिक एवं संभावित व्यावसायिक रणनीति मे सक्षम होंगे।

बिहार के महान विभूतियों/ महान महापुरुषों जिनमें महात्मा तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान भूमि, उपदेश भूमि और कर्म भूमि रही है। जिन्होंने **"अप्पा दीपो भव:"** अपना दीपक स्वयं बनो, और चार आर्य सत्य का मार्ग बताया।

- **(01) दुःख।**
- **(02) दुःख समुदाय।**
- **(03) दुःख निरोध।**
- **(04) दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा।**

इन सांसारिक दुःखों से मुक्ति हेतु महात्मा तथागत गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के पालन का उपदेश दिया।

- **(01) सम्यक दृष्टि।**
- **(02) सम्यक संकल्प।**
- **(03) सम्यक वाणी।**
- **(04) सम्यक कर्मान्त।**
- **(05) सम्यक आजीव।**
- **(06) सम्यक व्यायाम।**
- **(07) सम्यक स्मृति।**
- **(08) सम्यक समाधि।**

महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए दस शील सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दस शील सिद्धांत (दसशील) नैतिक आचरण के नियम हैं। जो अनुयायियों के लिए संयम और सदाचार का मार्ग दर्शाते हैं। ये मुख्यतः भिक्षुओं (संध्या, श्रावक आदि) के लिए होते हैं। लेकिन आम जन भी इनमें से कई का पालन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने माध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। और **"सर्वजन हितायनम, सर्वजन सुखायनम और सर्वजन कल्याणम"** का पाठ पढ़ाया। वहीं बिहार वर्द्धमान महावीर स्वामी की जन्म भूमि, तपोभूमि, कर्म भूमि रही है। वे जैन धर्म के 24 वें तीर्थंकर, अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। उनके उपदेशों में **हिंसा न करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना, सम्पत्ति न रखना** शामिल है।

जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नांकित है।

- **(01) सम्यक दर्शन।**
- **(02) सम्यक ज्ञान।**
- **(03) सम्यक आचरण।**

वर्धमान महावीर ने त्रिरत्न के अनुशीलन में पांच महाव्रतों के अनुपालन को अनिवार्य बताया।

- **(01) अहिंसा। (हिंसा न करना)**
- **(02) सत्य वचन। (सदैव सत्य वचन बोलना)**
- **(03) अस्तेय। (चोरी न करना)**
- **(04) अपरिग्रह। (धन इकट्ठा न करना)**
- **(05) ब्रह्मचर्य। (इंद्रियों पर नियंत्रण रखना)**

वर्धमान महावीर ने सम्पूर्ण जनमानस को **"जियो और जीने दो"** का संदेश दिया।

बिहार की धरती पर चाणक्य (कौटिल्य) का जन्म पाटलिपुत्र (अब पटना) में हुआ। जो महान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना में राजा और प्रजा के दायित्वों और विधि विधानों की रचना कर बिहार की धरती को विश्व के मानचित्र पर अमर बनाया। विष्णु गुप्त के अर्थशास्त्र में राज्य की संरचना,राजा के कर्तव्य, मंत्रिमंडल और उनके उत्तरदायित्व,कर प्रणाली,कृषि, व्यापार, उद्योग,सेना और युद्ध नीति,गुप्तचर प्रणाली (जासूसी),दंड नीति (सजा और अपराध),विदेशी संबंध और कूटनीति,समाजशास्त्र और नैतिकता में 15 अध्याय और 180 प्रकरणों पर आधृत है। सम्राट अशोक की कर्मभूमि मगध (बिहार) जिन्होंने मौर्य सम्राट के रूप में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और विश्व में अहिंसा, परमो धर्म, सत्य, मानव प्रेम और जनसेवा का संदेश दिया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का जन्म ज़िरादेई, सिवान (बिहार) था जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद और लोकहितवादी थे। इनकी सादगी और ईमानदारी आज के नेताओं के लिए उदाहरण है। वही जयप्रकाश नारायण (जेपी) का जन्म सारण ज़िला में हुआ। जो संपूर्ण क्रांति के जनक, समाजवादी नेता, इमरजेंसी के विरुद्ध आंदोलन के अग्रणी थे। बिंदेश्वरी दुबे, कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय, गरीबों के उत्थान के लिए कार्यरत नेता थे। डॉ० बिंदेश्वरी पाठक का जन्म बिहार में हुआ। जो सुलभ शौचालय आंदोलन के जनक, स्वच्छता और मानव गरिमा के लिए कार्य किया। शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम (बिहार) में हुआ वे महान प्रशासक, "ग्रांड ट्रंक रोड" का निर्माण, प्रशासनिक सुधार, रुपया की शुरुआत और जनमानस के लिए कई जन-कल्याणकारी कार्य किये। पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार, सामाजिक और मानवीय सरोकारों से जुड़े रहे जिनका स्वच्छ और वास्तविक चित्रण उनके कविताओं और रचनाओं से भी प्रतिबिंबित होती है।

(Conclusion) निष्कर्ष :-

ऐतिहासिक रूप से बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। जहां 05 वीं पांचवीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व की एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वहीं आठवीं शताब्दी में 783 ईस्वी में पाल सम्राट धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित की गई। 08 वीं शताब्दी ईस्वी में उदंतपूरी विश्वविद्यालय पाल

सम्राट गोपाल ने स्थापित किया जो वर्तमान नालंदा जिले के बिहार शरीफ में है। इस प्रकार बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीनतम इतिहास बड़ा ही गौरवशाली और गरिमापूर्ण रहा है। इस प्रकार प्राचीन विश्वविद्यालय अलग-अलग कालखंडों में बिहार में स्थापित किए गए। प्राचीन काल में सनातन संस्कृति का शैक्षिक केंद्र मिथिला क्षेत्र था बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था और जैन काल में शिक्षा का अहम केंद्र बिहार में पावापुरी और पाटलिपुत्र था इस प्रकार प्राचीन भारत में **"भारतीय ज्ञान परंपरा"** को चरमोत्कर्ष पर पहुंचने में बिहार का एक अनुपम योगदान है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में बिहार का पटना कालेज (स्नातक कालेज) 1863 में स्थापित किया गया,जो बाद में पटना विश्वविद्यालय की अंगीभूत ईकाई के रुप में सम्मिलित की गई। भारत का सातवां प्राचीन पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ई० में की गई। जो बिहार और उड़ीसा का केंद्रीय शिक्षा केंद्र था बिहार तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। चाहे विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशलयुक्त शिक्षा, अनुसंधान इत्यादि क्षेत्रों में बिहार अपना परचम लहरा रहा है। वहीं (बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा- 2025) **"सामाजिक न्याय, समता, वैज्ञानिक सोच, राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक संरक्षण के साथ बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा"** अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं विद्यार्थियों को बिहार सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सहायता राशि छात्रवृत्ति के रूप में उच्च शिक्षा में फेलोशिप के रूप में शिक्षा ऋण के रूप में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के रुप में, यूवा रोजगार भत्ता के रुप में सहायता प्रदान की जा रही है और बड़ी संख्या में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और नियुक्त शिक्षकों को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०ई०आर०टी०) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी०टी०ई०) और बेसिक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसका सफलीभूत उदाहरण बिहार के सरकारी विद्यालयों में 70% से अधिक विद्यार्थी कक्षाओं और विद्यालयों में दिख रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त विधालयी शिक्षा संस्थान (एन०आई०ओ०एस०), बिहार मुक्त विधालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड दूरस्थ माध्यम से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कर रही है। और बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या नियमित विद्यालय आने में असमर्थ है। वह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रेगुलर माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा ससमय करा रही है। जिससे विद्यार्थियों का समय और पैसा दोनों बच रहा है। वहीं उच्च शिक्षा में दूरस्थ माध्यम से "नालंदा खुला विश्वविद्यालय" एक नया आयाम स्थापित कर रही है। वहीं महिलाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण और उन्मुखीकरण के लिए बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में 50% आरक्षण और मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण की व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे बिहार सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। जिससे कि उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व भी निखर कर सामने आए इस प्रकार कहा जाता है, कि जब बिहार आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा इसमें बिहार सरकार द्वारा 50% के आरक्षण की व्यवस्था कर नारी सम्मान,सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय को धरातल पर सच्चे अर्थों में चरितार्थ किया है। भारत के विश्वगुरु के स्वप्न को सच्चे अर्थों में आधार प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बिहार है।

(References) शोध संदर्भ सामग्री:-

1. बिहार सरकार, शिक्षा विभाग. (2023). बिहार शिक्षा नीति 2023. पटना: शिक्षा विभाग.

2. नीति आयोग. (2020). School Education Quality Index. भारत सरकार.

3. U-DISE+ रिपोर्ट (2022-23), भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय.

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD). (2021). Samagra Shiksha Abhiyan Guidelines.

5. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC). (2022). प्रगति रिपोर्ट 2021-22.

6. NITI Aayog. (2021). Aspirational Districts Dashboard.

7. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार. (2022). शिक्षा और पंचायतों की भूमिका.

8. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय. (2020). National Education Policy (NEP) 2020.

9. बिहार बजट दस्तावेज (2023-24), शिक्षा के लिए आवंटन.

10. UNICEF & BEPC (2021). Education for All in Bihar: Status & Challenges.

11. कुमार, राजेश. (2021). "बिहार में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति: एक विश्लेषण". भारतीय सामाजिक अनुसंधान जर्नल.

12. सिंह, अंजलि. (2020). "शिक्षा में लैंगिक असमानता: बिहार का संदर्भ". शोध संवाद पत्रिका.

13. ठाकुर, विवेक. (2019). "ग्रामीण बिहार की शिक्षा समस्याएँ". Indian Journal of Rural Development.

14. Mishra, P. (2022). "Challenges of Higher Education in Bihar". Journal of Educational Planning and Administration.

15. Tiwari, S. (2023). "Dropout Rate in Bihar's Schools: Causes and Remedies". Economic and Political Weekly.

16. Sinha, R. (2020). "Teacher Absenteeism in Bihar: A Ground Reality". Research Journal of Humanities and Social Sciences.

17. Gupta, N. (2021). "Mid-Day Meal Scheme and its Impact in Bihar". Journal of Public Policy and Administration.

18. Jha, M. (2023). "Digital Divide in Bihar’s Education System". International Journal of Educational Research.

19. Ali, F. (2021). "Role of NGOs in Enhancing Education in Bihar". Social Change Review.

20. Ranjan, V. (2018). "Vocational Education and Skill Development in Bihar". Indian Journal of Technical Education.

21. द हिंदू (2023). "Bihar’s Efforts to Revive Rural Schools".

22. प्रभात खबर (2022). "बिहार में शिक्षा की नई पहलें".

23. हिंदुस्तान टाइम्स (2021). "Mission Shiksha Suraksha: A Game Changer in Bihar".

24. द इंडियन एक्सप्रेस (2020). "NEP Implementation Challenges in Bihar".

25. दैनिक जागरण (2023). "बिहार सरकार की डिजिटल शिक्षा योजनाएं".

26. Pratham (ASER) Report (2022). Annual Status of Education Report - Bihar.

27. Azim Premji Foundation (2021). Learning Deficits in Bihar.

28. Oxfam India. (2020). Bihar Education Inequality Report.

29. Save the Children. (2021). Impact of COVID-19 on Bihar’s Schooling.

30. World Bank. (2020). Strengthening Teaching-Learning in Bihar: A Policy Note.

31. बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा-2025

32. Bihar Education Report (BER)

33. Annual Status of Education Report (ASER)

34. Human Development Report (HDR)

THE RESEARCH DIALOGUE
DIALOGUE
Manifestation Of Perfection

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed /Refereed National Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-04, Issue-01, April-2025
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number April-2025/10
Impact Factor (RPRI-4.73)

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

सोनू रजक, प्रोफेसर मो० फ़ैज़ अहमद, मो० नदीम, उत्तम कुमार,
डॉ० बेग मुंतजीब अली और डा० शेख़ वसीम शेख़ शब्बीर

for publication of research paper title

"बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्याएं, सुधार हेतु सुझाव और बिहार सरकार के शैक्षणिक उत्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं का विश्लेषण"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-01, Month April, Year-2025.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY